2020/00385

APP-A
Crim-I

FORM No. IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बदायूं मुकाम बदायूं

उपखण्डाधिकारी बनाम

अमर सिंह वगैरा

मुकदमा नं. सन

प्रा० धारा आई० टी० एक्ट

नम्बर हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	08/01/2021 – एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र धारा 3 आई० टी० एक्ट के तहत पेश किया हमने एडवो० प्रार्थी को एक पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में साबित जाता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 06/01/2021 को एक आदेश का जारी किया जाना है कि प्रार्थिका पर ही भू० सरकार 02 में बाकिया अदायगी वाले एक बकैया तहसील बदायूं के मौके की मध्यस्थिति बनाए रखे। इस बाबत कोई अपील ही तो दिनांक – शरीक पेशी – को अपीलार्थी द्वारा उपस्थित हो प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अपीलार्थी को अग्रिम नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 07/01/2021 को पेश हो।	
	07/01/2021 – एडवो० प्रार्थी उप० अपीलीय की तरफ से प्रार्थना पत्र सामिल किया है प्रकरण आगे और तरफी दिनांक 07/01/2021 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7/4/21	प्रकरण पेश हुआ। अलावा के प्रति के विरुद्ध पक्ष लेकर कार्यवाही अमल में लायी जाकर कुर्की-हाजरी अमल में लायी जाकर अभियोगी द्वारा प्रार्थना पत्र के भी अभियोगी के विरुद्ध पक्ष लेकर कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वाद अग्रिम प्रकरण दिनांक 23/7/21 को पेश हो।
23/7/21	अवकाश। 05/11/21 को पेश हो
8/11/21	प्रशासन गांव के पेश। अभियान के पश्चात है। पीठासीन अधिकारी ..... है। पत्रावली मूलांकुसार दिनांक 05/11/22 को पेश हो। 05/11/22 का अवकाश होने पर पत्रावली आज खोली गई।
05/1/22	एडवोकेट प्रार्थी उपस्थित। एडवो. प्रार्थी की बहस अग्रिम एक-पक्षीय सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा डाक्टर सूट पेश कर निवेदन किया कि क्र.नं. 1141/0.12, 1154/0.16, 1161/0.14, 1214/0.27, 1299/0.19, 561/0.34, 562/0.02, 563/0.32, 703/0.08, 704/0.07, 705/0.19, 758/0.06, 759/0.06, 760/0.02, 762/0.06, 763/0.09,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश

764/006 वाद ग्रामसभा तहसील बबाना प्रार्थी बनाम प्रतिवादगण। कार्यवाही आरम्भ है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है प्रार्थी गरीब शान्ति स्वभाव वाला व्यक्ति है। अप्रार्थीगण झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आ.ए.न 1299/0.19 में अपना नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण। अप्रार्थीगण ने दिनांक 5/10/2020 को धमकी दी है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खीकार कर अप्रार्थीगण के विवादित आराजीयात बाबत मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील न्यायालय हाजा तारीख पेशी में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय हाजा के नोटिस दिनांक 7/10/21 से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को एक पक्षीय सुना। पत्रावली मे संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। जमा० सम्वत 2073-76 अनुसार विवादित आराजी वादी। प्रार्थी की खातेदारी आराजी है अप्रार्थीगण का उक्त विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रार्थना कैंटी कैस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08/10/2020 वाद के निर्णय तक कायम किया जाता है। प्रकरण कैटल हेड जम्बर से कम है। वाद तकसीम का विवाद नहीं है। जिसे मेरे द्वारा आज दिनांक को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी